न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर (सीकर)

उनवान संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
35ए / 2018	08.10.2018	20 / 01 / 2025

पीठासीन अधिकारी – दमयन्ती कंवर (R.A.S.)

उनवान

दीपा देवी पत्नी परमेश्वर लाल पुत्री भानाराम जाति जाट निवासी ग्राम ग्राम किशनपुरा हाल निवासी ग्राम दिनारपुरा तहसील फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर राजस्थान

प्रार्थी

बनाम

(1) कुरड़ाराम पुत्र भाना राम
(2) रामकुमार पुत्र जीवण
(3) सुल्तान पुत्र जीवण
(4) गणेश पुत्र जीवण
(5) लक्ष्मी देवी पत्नी हणमान
(6) मंसाराम पुत्र हणमान
(7) सुमित्रा पुत्री हणमान
(8) सीता देवी पत्नी स्वर्गीय शीशपाल
(9) रामनिवास पुत्र स्वर्गीय शीशपाल
(10) रामलाल पुत्र स्वर्गीय शीशपाल
(11) परतुराम पुत्र जालू
(12) रूपा राम पुत्र जालु

समस्त गण जाति जाट निवासीगण ग्राम किशनपुरा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान

(11) पटवारी पटवार हल्का ग्राम बीराणिया तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान
(12) उप पंजीयक महोदय फतेहपुर जिला सीकर (राज.)
(13) तहसीलदार महोदय फतेहपुर जिला सीकर (राज.)
(14) मैनेजर केनरा बैंक शाखा फतेहपुर जिला सीकर (राज.)

अप्रार्थीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.02.13 17:03:46 IST
Reason: SelfAttested

वाद उदघोषणा, खाता दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता –

1. श्री अनिल बाटड़ प्रार्थी की ओर से
2. श्री कपिल दहिया अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से
3. श्री राजेश गोस्वामी अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 7, 12 की ओर से

उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर-सीकर (राज.)

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इन कथनों के साथ पेश किया कि उपरोक्त उनवानी वाद प्रार्थी वादीया ने माननीय न्यायालय में विधिवत रूप से प्रस्तुत कर दिया है जिसमें दर्ज तथ्यों, संलग्न दस्तावेजात व प्रार्थना पत्र की पुष्टि में शपथ पत्र से प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी वादीया के पक्ष में है जिसमें प्रार्थीया की सफलता सुनिश्चित है।

भूमि खसरा नम्बर पुराना 118 रकबा 2.07 हैक्टयर जिसके देवी वर्तमान में नये खसरा नम्बर 249 रकबा 2.0700 हैक्टयर, खसरा नम्बर 126 पुराना रकबा 8.07 हैक्टयर जिसके वर्तमन मे नये खसरा नम्बर 260 रकबा 1.4900 हैक्टयर, खसरा नम्बर 261 रकबा 1.4900 हैक्टयर, खसरा नम्बर 262 रकबा 1.4900 हैक्टयर, खसरा नम्बर 263 रकबा 1.4900 हैक्टयर, खसरा नम्बर 264 रकबा 1. 5000 हैक्टयर, खसरा नम्बर 265 रकबा 0.6100 हैक्टयर, खसरा नम्बर पुराना 132 रकबा 6.85 हैक्टयर जिसके नये खसरा नम्बर 273 रकबा 6.8500 हैक्टयर, खसरा नम्बर पुराना 146 रकबा 8.92 हैक्टयर जिसके वर्तमान में नये खसरा नम्बर 303 रकबा 2.0100 हैक्टयर, खसरा नम्बर 304 रकबा 0. 0300 हैक्टयर, खसरा नम्बर 305 रकबा 0.0700 हैक्टयर, खसरा नम्बर 306 रकबा 2.7000 हैक्टयर, खसरा नम्बर 307 रकबा 0.0800 हैक्टयर, खसरा नम्बर 308 रकबा 0.0300 हैक्टयर, खसरा नम्बर 309 रकबा 0.3000 हैक्टयर, खसरा नम्बर 310 रकबा 0.1000 हैक्टयर, खसरा नम्बर 311 रकबा 1. 4500 हैक्टयर, खसरा नम्बर 312 रकबा 0. 0500 हैक्टयर, खसरा नम्बर 313 रकबा 21000 हैक्टयर कुल पुराना खसरा चार व नये खसरा नम्बर 19 कुल रकबा 25.9100 हैक्टयर वाके ग्राम किशनपुरा में अवस्थित है जिन्हें प्रार्थना पत्र में आगे विवादित आराजियात के नाम से सम्बोधित किया जावेगा।

सजरा खानदान के अनुसार उपरोक्त वर्णित विवादित आराजियात में प्रार्थीया का 1/4 हिस्सा भूमि भाग उसके पिता भानाराम की विधिक वारिस होने के कारण कानूनी रूप से बनता है तथा उसी के अनुरूप प्रार्थीया का उक्त भूमियों पर कब्जा काश्त साधिकार चला आ रहा है।

प्रार्थीया एवं अनार्थी संख्या 1 कुरड़ाराम के पिता स्व० भानाराम थे जिनका उपरोक्त वर्णित विवादित आराजियात में 1/2 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार थे तथा भानाराम की मृत्यु के पश्चात् राजस्व अधिकारियों की गलती से भानाराम का 1/2 हिस्सा भूमि भाग उसके केवल पुत्र कुरड़ाराम अकेले के नाम गलत व विधि विरूद्ध तरीके से प्रार्थीया को बिना कोई सूचना दिये व बिना नोटिस व बिना कब्जे की जांच किये दर्ज कर दिया गया तथा भानाराम की पुत्री प्रार्थीया दीपा देवी का नाम जो उपरोक्त विवादित आराजियात में 1/4 हिस्सा भूमि की काबिज काश्तकार है को राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं किया गया अर्थात भानाराम की विधिक वारिस होने के कारण प्रार्थीया उपरोक्त वर्णित विवादित आराजियात में अपना 1/4 हिस्सा उद्घोषित करवाने की अधिकारी है तथा खाता बनाम कुरड़ाराम उपरोक्त प्रकार निरस्त किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.02.13 17:03:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर (राज.)

चूंकि उपरोक्त वर्णित विवादित आराजियात में भानाराम की मृत्यु के पश्चात् उसके 1/2 हिस्से की भूमि सहवन से कुरड़ाराम के नाम से दर्ज हो गई थी जबकि स्व० भानाराम के पुत्र कुरड़ाराम के अलावा उसकी जायन्दा पुत्री दीपा देवी मौजूद है विरासत के आधार पर भानाराम की विवादित आराजियात में से 1/4 हिस्सा गुरखाराम मो नाम से एवं 1/4 हिस्सा दीपा देवी के नाम से दर्ज किया जाना उचित व न्याय संगत है तदनुसार राजस्व रिकार्ड में भी उसी के अनुरूप खाता दुरूस्त किया जाना उचित व न्याय संगत है।

भानाराम की मृत्यु के पश्चात् उसकी 1/2 हिस्से की सम्पूर्ण भूमियां अप्रार्थी संख्या 1 कुरड़ाराम के नाम से 1/2 हिस्से के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दी गई थी जिसके कारण अनाथर्थी संख्या । अन्य अप्रार्थीगण से मिलकर उपरोक्त वर्णित विवादित आराजियात को जिसमे 1/4 हिस्सा प्रार्थीया का भी मानाराम की विधिक वारिसान होने पाद के कारण विधिक रूप से बनता है को अन्य किसी दीगर व्यक्तियों को स्थानान्तरित करने को तत्पर है और इसकी धमकी अनार्थी संख्या 1 अन्य प्रतिवादीगण से मिलकर दिनांक 10--09--2016 से प्रार्थीया को दे रहा है जिस सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या एक अप्रार्थी संख्या 15 के यहां उक्त भूमियों बाबत प्रलेख पंजीकृत कराने को तत्पर है। अप्रार्थी संख्या 15 उक्त भूमियों की बाबत प्रलेख पंजीकृत करने को तत्पर है तथा अप्रार्थी संख्या 14, ता 16 राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करने को तत्पर है। अगर अप्रार्थीगण अपने उपरोक्त कृत्य में सफल हो गये तो प्रार्थीया को असीम क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ती अन्यथा किसी भी रूप से संभव नहीं हो सकेगी जिसके कारण प्रार्थीया अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा प्रतिबंधित करवाने की अधिकारिणी है।

अप्रार्थी संख्या 1 अन्य अप्रार्थीगण से मिलकर प्रार्थीया के हिस्से की भूमि को गलत खातेदारी के आधार पर दीगर व्यक्तियों को स्थानान्तरित करने की धमकी दिनांक 10–09–2016 से लगातार दे रहा है जिसके कारण प्रार्थीया को यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी प्रतिवादीगण मय उनके नौकर चाकर, परिजन, एजेन्ट आदि को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावे कि वे वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 249 रकबा 2.0700 हैक्टयर, खसरा नम्बर 260 रकबा 1.4900 हैक्टयर, खसरा नम्बर 261 रकबा 1.4900 हैक्टयर, खसरा नम्बर 262 रकबा 1.4900 हैक्टयर, खसरा नम्बर 263 रकबा 1.4900 हैक्टयर, खसरा नम्बर 264 रकबा 1.6000 हैक्टयर, खसरा नम्बर 265 रकबा 0.6100 हैक्टयर, खसरा नम्बर 273 रकबा 6.8500 हैक्टयर, खसरा नम्बर 303 रकबा 2.0100 हैक्टयर, खसरा नम्बर 304 रकबा 0.0300 हैक्टयर, खसरा नम्बर 306 रकबा 0.0700 हैक्टयर, खसरा नम्बर 306 रकबा 2.7000 हैक्टयर, खसरा नम्बर 307 रकबा 0.0800 हैक्टयर, खसरा नम्बर 308 रकबा 0.0300 हैक्टयर, खसरा नम्बर 309 रकबा 0.3000 हैक्टयर, खसरा नम[illegible]बा 0.1000 हैक्टयर, खसरा नम्बर 311 रकबा 1.4500 हैक्टयर, खसरा [illegible] हैक्टयर, खसरा नम्बर 313 रकबा 2.1000 हैक्टयर कुल खसरा नम्बर 19 [illegible] किशनपुरा तहसील फतेहपुर में स्थित विवादित आराजियात को किसी प्रकार से विक्रय, अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरण नहीं करे करावे, वादग्रस्त भूमियों में प्रार्थीया के 1/4 हिस्स[illegible]मे भाग से प्रार्थीया को जबरन बेदखल नहीं करे करावे, उक्त भूमियों में प्रार्थीया के उपयोग उपभोग कब्जे काश्त आदि में किसी प्रकार की दखल देने से बाज रहे तथा यथास्थिति बनाये रखें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.02.13 17:03:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर (राज.)

प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 ता 7, 12 ने ईकबालिया जवाब प्रस्तुत किया।

अप्रार्थी संख्या 1 ने अपना जवाब प्रस्तुत किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र में उपरोक्त उनवानी दावा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत होना स्वीकार है किन्तु इस मद में वर्णित शेष कथन गलत होने के कारण स्वीकार नही है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं है बल्कि मुझ अप्रार्थी के पक्ष में है। मुझ अप्रार्थी की जवाब देही काफी सबल व सुदृढ है जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो व इसके संलग्न शपथ पत्र से मुझ अप्रार्थी का मामला काफी सबल व सुदृढ है जिसमें मुझ अप्रार्थी की सफलता सुनिश्चित है। विवादित भूमी मुझ अप्रार्थी के स्वामित्व कब्जे अधिकार की भूमी है मुझ अप्रार्थी के विरूद्ध किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी कि जाने से मुझ अप्रार्थी को असीम हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी तरह सम्भव नही हो सकेगी। प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भुमियां ग्राम किशनपुरा तहसील फतेहपुर जिलासीकर राज० में स्थित होना स्वीकार है शेष कथन तथ्यात्मक है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित कुर्सीनामा तथ्यात्मक है। जिसे प्रार्थी स्वयं साबित करे। प्रार्थना पत्र गलत होने के कारण स्वीकार नही है।

प्रार्थिया का विवादित भुमि में कोई 1/4 हिस्सा भूमि भाग कानूनन नहीं बनता है तथा न ही प्रार्थिया का विवादित भुमि पर कोई कब्जा काश्त है। प्रार्थिया के द्वारा न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश महोदय फतेहपुर में एक वाद उनवानी दीपादेवी बनाम कुरडाराम आदि प्रस्तुत किया हुआ है जिसमें प्रार्थिया ने अपने आप को भैराराम की पुत्री होना बताया है तथा इस वाद व प्रार्थना पत्र में वह अपने आप को भानाराम की विधिक वारिस होना बता रही है जो कि दोनो परस्पर विरोधाभाषी कथन है प्रार्थना पत्र प्रार्थिया इसी बिना पर खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 1 का भानाराम का पुत्र होना, उक्त भुमियों में भानाराम का 1/2 हिस्सा भुमि का खातेदार काश्तकार होना तथा भानाराम की मृत्यु के पश्चात भानाराम के उक्त 1/2 हिस्से का खाता अप्रार्थी संख्या 1 के नाम बनना स्वीकार है किन्तु शेष कथन गलत होने के कारण स्वीकार नही है। अप्रार्थी संख्या 1 उक्त भानाराम का अकेला वारिस है भानाराम की मृत्यु के पश्चात भानाराम के उक्त भुमियों में 1/2 हिस्से का खाता अप्रार्थी संख्या 1 के नाम बिलकुल वैध व सही रूप से दर्ज किया गया है। प्रार्थिया का उक्त भुमि में 1/4 हिस्सा भुमि भाग पर कोई कब्जा काश्त कभी नही रहा तथा न ही प्रार्थिया भानाराम की विधिक वारिस है प्रार्थिया को विवादित भुमि में 1/4 हिस्सा अपने नाम उद्घोषित करवाने का कोई विधिक अधिकार नही है प्रार्थना पत्र प्रार्थिया खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र गलत होने के कारण स्वीकार नही है भानाराम की मृत्यु के पश्चात उसके 1/2 हिस्से की भुमि का खाता अप्रार्थी संख्या 1 के नाम बिलकुल सही व वैध रूप से दर्ज किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 भानाराम का एकमात्र विधिक वारिस व उत्तराधिकारी है प्रार्थिया भानाराम की पुत्री नही है। प्रार्थिया के द्वारा माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश फतेहपुर में प्रस्तुत वाद उनवानी दीपादेवी देवी बनाम कुरडाराम आदि में भी प्रार्थिया ने स्वयं को भैराराम की पुत्री होना बताया है तथा इस वाद व प्रार्थना पत्र में वह अपने आप को भानाराम की पुत्री होना बता रही है जो परस्पर विरोधाभाषी कथन है। प्रार्थिया भानाराम की वारिस नही है इसलिये प्रार्थिया का उक्त भुमियों में कोई हिस्सा नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.02.13 17:03:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर (राज.)

प्रार्थिया को उक्त भुमियों में 1/4 हिस्से का खाता अपने नाम उद्घोषित करवाने का कोई विधिक अधिकार नही है प्रार्थना पत्र प्रार्थीया खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र में भानाराम की मृत्यु के पश्चात उसके उक्त भुमियों में 1/2 हिस्से की भुमि का खाता अप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज होना स्वीकार है किन्तु शेष कथन गलत होने के कारण स्वीकार नही है। प्रार्थिया का विवादित भुमियों में 1/4 हिस्सा नही है तथा न ही प्रार्थिया का कोई कब्जा काश्त है बल्कि अप्रार्थी संख्या 1 अपने पिता के समय से उक्त भुमि में अपने 1/2 हिस्से को काश्त करता चला आ रहा है तथा उक्त भुमियों में 1/2 हिस्से पर अप्रार्थी संख्या 1 का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है अप्रार्थी संख्या 1 को अपने खाते कब्जे काश्त की उक्त भूमि को हर प्रकार से अपने उपयोग उपभोग में लेने का पूर्ण अधिकार है जिसके तहत अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा उक्त कृषि भुमियों में अपने उक्त 1/2 हिस्से में से 1/6 हिस्से का उपहार पत्र अपनी पत्नी बसन्तीदेवी व पुत्रगण रामकरणसिंह व सत्यपालसिंह के पक्ष में दिनांक 17/8/2016 को कार्यालय उपपंजीयक फतेहपुर में निष्पादित व पंजीबद्ध करवाया गया था जिसको निरस्त करवाने बाबत प्रार्थिया के द्वारा एक प्रार्थना पत्र उनवानी दीपादेवी बनाम कुरडाराम आदि माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश महोदय फतेहपुर के समक्ष प्रस्तुत किया हुआ है जो विचाराधीन है। प्रार्थिया ने उक्त बसन्ती देवी, रामकरणसिंह व सत्यपाल को उक्त वाद में जानबूझकर पक्षकार नही बनाया है जो उक्त वाद में आवश्यक पक्षकार है जिसके अभाव में प्रार्थना पत्र प्रार्थिया खारिज किये जाने योग्य है प्रार्थना पत्र गलत होने के कारण स्वीकार नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 का अन्य अप्रार्थीगण से कोई सम्बन्ध सरोकार नही है प्रार्थिया का विवादित भुमियों में कोई हिस्सा कब्जा काश्त नही है अप्रार्थी संख्या 1 के नाम उक्त भुमियों के 1/2 हिस्से का खाता बिलकुल सही व वैध रूप से बना है जिससे प्रार्थिया का कोई सम्बन्ध सरोकार नही है। प्रार्थिया अपने ससुराल दिनारपुरा में रहती है अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा प्रार्थिया को कोई धमकी दिनांक 10/9/2016 को अथवा कभी भी नही दी गई जब प्रार्थिया का विवादित भूमियों से कोई सम्बन्ध सरोकार ही नही है तब अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा प्रार्थी को किसी प्रकार की कोई धमकी देने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है प्रार्थिया ने इस मद में वर्णित कथन केवल झुठा वाद कारण दर्ज करने की नियत से किये है जिनका वास्तविकता से कोई सम्बन्ध सरोकार नही है। प्रार्थिया प्रार्थना पत्र में किसी प्रकार की कोई सहायता प्राप्त करने की अधिकारी नही है प्रार्थनापत्र प्रार्थीया खारिज किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त कथन

प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी. एक्ट व धारा 151 ज... प्रावधानो में नही आने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना ... कारण खारिज किये जाने योग्य है। कब्जे के अभाव में प्रार्थना पत्र प्रार्थि... खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थिया को हम अप्रार्थीगण के विरूद्ध कोई वादकारणप्राप्त नही होने ... प्रार्थना पत्र प्रार्थिया आदेश 7 नियम 11 जा०दी० के तहत खारिज किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.02.13 17:03:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर (राज.)

कृषि भूमि ख0न0 132 व नया 273 कुल रकबा 6.85 हैक्टेयर, ख०न० पुराना 126 रकबा 8.07 हैक्टेयर के नये खसरा नम्बर 260 रकबा 1.49 हैक्टेयर, ख0न0 261 रकबा 1. 49 हैक्टेयर, ख0न0 262 रकबा 1.49 हैक्टेयर, ख0न0 263 रकबा 1.49 हैक्टेयर, पुराना ख0न0 146 रकबा 8.92 हैक्टेयर व नया ख0न0 303 रकबा 2.01 हैक्टेयर, ख0न0 306 रकबा 2.70 हैक्टेयर, ख0न0 311 रकबा 1.45 हैक्टेयर, ख०न० पुराना 118 रकबा 2.07 हैक्टेयर जिसके नये ख0न0 249 रकबा 2.07 हैक्टेयर, ख0न0 264 रकबा 1.50 हैक्टेयर, ख0न0 265 रकबा 0.61 हैक्टेयर, ख0न0 305 रकबा 0.07 हैक्टेयर, ख0न0 307 रकबा 0.10 हैक्टेयर, ख0न0 313 रकबा 2.10 हैक्टेयर वाके ग्राम किशनपुरा पटवार क्षेत्र बिरानिया तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज० में अवस्थित है जिनका खाता पूर्व में स्व० भैरू के नाम बना हुआ था जिनकी मृत्यु के पश्चात उक्त भुमियों का खाता उनके पुत्रों भाना उर्फ भानाराम व जीवण के नाम बन गया। उक्त भुमियों में भाना उर्फ भानाराम का 1/2 हिस्सा तथा जीवण का 1/2 हिस्सा था।

भानारामजी की मृत्यु शुक्ल पक्ष की तिथी नौ सम्वत 2032 को हो गई थी। उनकी मृत्यु के पश्चात उक्त भुमियो में उनके 1/2 हिस्से का खाता उनके पुत्र अप्रार्थी संख्या एक के नाम बन गया तथा अप्रार्थी संख्या एक ही भानारामजी के उक्त 1/2 हिस्से पर निरन्तर निर्बाध व शान्तिपूर्वक काबिज चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या एक के द्वारा उक्त कृषि भुमियों में अपने उक्त 1/2 हिस्से में से 1/6 हिस्से का उपहार पत्र अपनी पत्नी बसन्तीदेवी व पुत्रगण रामकरणसिंह व सत्यपाल के पक्ष मे दिनांक 17/8/2016 को कार्यालय उपपंजीयक फतेहपुर में निष्पादित व पंजीबद्ध करवाया गया था जो बिलकुल वैध व सही रूप से निष्पादित किया गया था। प्रार्थिया विवादित कृषि भुमियो में कोई हिस्सा कभी नही रहा तथा न ही उक्त कृषि भुमियां प्रार्थिया की पैतृक कृषि भुमियां है। प्रार्थिया का विवाह करीब पचास वर्ष पूर्व दिनारपुरा गांव में हो चुका है तथा अपने विवाह उपरान्त अपने ससुराल में ही आवास निवास करती चली आ रही है तथा अपने ससुराल में स्थित सम्पतियों पर साधिकार काबिज है। उक्त कृषि भुमियो का खाता प्रार्थी की जानकारी में सही रूप से अप्रार्थी संख्या एक के नाम बना हुआ था जिसे अब चेलेन्ज करने का प्रार्थी को कोई हक अधिकार नही है प्रार्थी का कोई हक हिस्सा कब्जा काश्त उक्त भुमियों में नही है इसलिये भी प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

अप्रार्थी संख्या एक विवादित कृषि भुमियों का खातेदार काबिज काश्तकार है जिसके नाम उक्त कृषि भुमियों का खाता बिलकुल सही व वैध रूप से बना हुआ है जिसे उक्त कृषि भुमियों को हर प्रकार से अपनेउपयोग उपभोग में लेने का व इसे हस्तान्तरित करने का पूर्ण हक अधिकार है जिसके तहत ही अप्रार्थी संख्याएक ने उक्त कृषि भुमियो बाबत उ[illegible]त्र बिलकुल सही व वैध रूप से पत्नी बसन्तीदेवी व पुत्रगण रामकरणसिंह [illegible] विवादित भुमि पर उनका कब्जा करवा दिया है। उक्त समस्त [illegible] है किन्तु प्रार्थी ने उक्त बसन्ती देवी, रामकरणसिंह व सत्यपाल को [illegible] पक्षकार नही बनाया है। आवश्यक पक्षकार के अभाव में प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये ज[illegible]योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 विवादित भुमियों का खातेदार काबिज काश्तकार है कानूनन खातेदार के विरूद्ध कोई स्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती प्रार्थना पत्र प्रार्थिया इसी बिना पर खारिज किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.02.13 17:03:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर शेखावाटी (राज.)

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र कतई गलत तथ्यो के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 व उसकी पत्नी बसन्तीदेवी व पुत्रगण रामकरणसिंह व सत्यपाल से उनके हक खाते कब्जे काश्त की भुमि को नाजायज रूप से हडपने के लिये व उन्हे अनावश्यक रूप से हैरान व परेशान करने के लिये व खर्चे से जैर बार करने के लिये प्रस्तुत किया है जो तीस हजार रूपये विशेष हर्जे सहित खारिज किये जाने योग्य है तथा विशेष हर्जा तीस हजार रूपये प्रार्थी से मुझ को दिलाया जाना न्यायोचित है।

इसलिये जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय विशेष हर्जा तीस हजार रूपये खारिज फरमाने की कृपा करे तथा विशेष हर्जा तीस हजार रूपये प्रार्थी से अप्रार्थी संख्या 1 को दिलाने की कृपा करे।

विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान् की बहस सुनी। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के कथनों को तथा विद्वान अधिवक्ता प्रतिपक्षीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र के कथनों को दौहराया एवं उभय पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा दस्तावेज पेश किये गये। वकील प्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस कथन किये गये कि प्रार्थीया दीपा देवी भानाराम की पुत्री है (सलंग्न जन्म प्रमाण पत्र की प्रति दीपा देवी)। इस संबंध में माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, फतेहपुर के कोर्ट की दीवानी विविध अपील संख्या 04/18 दिपा देवी बनाम कुरड़ाराम आदि में दिनांक 04.09.2019 को वादग्रस्त सम्पत्ति के संबंध में उभय पक्ष को रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाए रखने हेतु पाबन्द किया गया(प्रतिलिपि सलंग्न)। अप्रार्थी संख्या 1 ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी दीपा देवी भानाराम पुत्री नहीं होना बताया है ना ही प्रार्थी दीपा देवी द्वारा इस वाद अथवा प्रार्थना पत्र में कोई दस्तावेज (जिसमें दीपा देवी भानाराम की पुत्री हो) प्रस्तुत किया है। इसके संबंध में माननीय न्यायालय अपर जिला न्याधीश, महोदय फतेहपुर के कोर्ट में वाद (कुरड़ाराम बनाम दीपा देवी आदि दीवानी संख्या 05/18 प्रतिलिपि सलंग्न) चला जिसमें भी वादीगण कुरड़ाराम आदि के पक्ष में वाद का निस्तारण दिनांकित 13.01.2023 को किया गया। बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त गहन, मनन अवलोकन किया गया। दौराने बहस विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्को पर भी विचार किया।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने पर परिस्थिति निम्न प्रकार है कि– विवादित भूमि खसरा नम्बर 249 रकबा 2.0700 हैक्टयर, खसरा नम्बर 260 रकबा 1.4900 हैक्टयर, खसरा नम्बर 261 रकबा 1.4900 हैक्टयर, खसरा नम्बर 262 रकबा 1.4900 हैक्टयर, खसरा नम्बर 263 रकबा 1.4900 हैक्टयर, खसरा नम्बर 264 रकबा 1.6000 हैक्टयर, खसरा नम्बर 265 रकबा 0.6100 हैक्टयर, खसरा नम्बर 273 रकबा 6.8500 हैक्टयर, खसरा नम्बर 303 रकबा 2.0100 हैक्टयर, खसरा नम्बर 304 रकबा 0.0300 हैक्टयर, खसरा नम्बर 306 रकबा 0.0700 हैक्टयर, खसरा नम्बर 306 रकबा 2.7000 हैक्टयर, खसरा नम्बर 307 रकबा 0.0800 हैक्टयर, खसरा नम्बर 308 रकबा 0.0300 हैक्टयर, खसरा नम्बर 309 रकबा 0.3000 हैक्टयर, खसरा नम्बर 310 रकबा 0.1000 हैक्टयर, खसरा नम्बर 311 रकबा 1.4500 हैक्टयर, खसरा नम्बर 312 रकबा 0.0500 हैक्टयर, खसरा नम्बर 313 रकबा 2.1000 हैक्टयर कुल खसरा नम्बर 19 कुल रकबा 25.9100 हैक्टयर वाके ग्राम किशनपुरा तहसील फतेहपुर पत्रावली पर उपलब्ध छायाप्रति जमाबंदी [illegible] गिरदावरी सम्वत् 2070 ग्राम किशनपुरा में उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज थी। प्रार्थी [illegible] देवी के जन्म प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत की है जिसमें पिता नाम भानाराम [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.02.13 17:03:46 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज से दीपा देवी भानाराम [illegible] पुत्री ना हो यह प्रथम दृष्ट्या प्रतीत नहीं होता है। विवादित भूमि पर स्वत्व प्रमाणित होते है या नहीं इस सम्बन्ध में मूलवाद के निस्तारण पर सम्यक विवेचन किया जायेगा, न कि प्रार्थीगण के इस प्रार्थना पत्र पर। किन्तु प्रार्थी के उक्त दस्तावेजो से विवादित आराजी में स्वत्व होना प्रथम दृष्ट्या तो प्रतीत होते है।

विवादित भूमि पर भौतिक रूप से कौन काबिज है, इस सम्बन्ध में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमि पर अपना—अपना कब्जा होनें के कथन किये है। किन्तु कब्जें के सम्बन्ध में उभयपक्ष द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि अप्रार्थीगण वर्तमान में विवादित आराजी के खातेदार राजस्व रिकॉर्ड से प्रमाणित है तथा खातेदार का भूमि पर कब्जा मानें जानें की अवधारणा है। जबकि प्रार्थी का कथन है कि विवादित भूमि पुश्तेनी भूमि है जिस पर प्रार्थी का जन्म से हिस्सा निहित है, जिसके सम्बन्ध में मूलवाद में तय किया जायेगा। इस प्रकार वर्तमान रिकॉर्ड अनुसार सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रकट होता है।

अप्रार्थी संख्या 1 ता 13 वर्तमान में वादग्रस्त आराजी के खातेदार की हैसियत रखते है, किन्तु विवादित सम्पूर्ण आराजी पर अप्रार्थी संख्या 1 ता 13 का ही कब्जा हो ऐसा भी प्रमाणित नहीं है। प्रार्थी के भी विवादित आराजी में प्रथम दृष्ट्या स्वत्व होना जाहिर आता है। प्रार्थी के स्वत्वों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण के समय तय किया जायेगा। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार विवादित आराजी अप्रार्थी संख्या 1 ता 13 की खातेदारी में दर्ज होनें से यदि अप्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी को नुकसान पंहुचाया जाता है तो वाद बहुलताऐं उत्पन्न होगी एवं अपरिमित क्षति होनें की पूर्ण संभावना प्रार्थी को ही है। ऐसी स्थिति में विवादित आराजी को मूलवाद के निस्तारण पर्यन्त सुरक्षित रखा जाना न्यायालय का कर्त्तव्य है।

प्रार्थीगण को या प्रतिपक्षीगण को विवादित आराजी पर या उसके हिस्से पर क्या हक अख्त्यार है या होने चाहिये इसका विनिश्चय मूलवाद पर सम्यक साक्ष्योपरान्त तथा सम्यक विचारण उपरान्त विधि अनुसार मेंरिट पर होना है न कि प्रार्थीगण के इस प्रार्थना पत्र के आधार पर। किन्तु मूलवाद के निस्तारण तक विवादित आराजीयात् को सुरक्षित एवं संरक्षित बनाये रखनें हेतु अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित है।

अतः उपर्युक्त विवेचना अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत आराजी भूमि खसरा नम्बर 249 रकबा 2.0700 हैक्टयर, खसरा नम्बर 260 रकबा 1.4900 हैक्टयर, खसरा नम्बर 261 रकबा 1.4900 हैक्टयर, खसरा नम्बर 262 रकबा 1.4900 हैक्टयर, खसरा नम्बर 263 रकबा 1.4900 हैक्टयर, खसरा नम्बर 264 रकबा 1.6000 हैक्टयर, खसरा नम्बर 265 रकबा 0.6100 हैक्टयर, खसरा नम्बर 273 रकबा 6.8500 हैक्टयर, खसरा नम्बर 303 रकबा 2.0100 हैक्टयर, खसरा नम्बर 304 रकबा 0.0300 हैक्टयर, खसरा नम्बर 306 रकबा 0.0700 हैक्टयर, खसरा नम्बर 306 रकबा 2.7000 हैक्टयर, खसरा नम्बर 307 रकबा 0.0800 हैक्टयर, खसरा नम्बर 308 रकबा 0.0300 हैक्टयर, खसरा नम्बर 309 रकबा 0.3000 हैक्टयर, खसरा नम्बर 310 रकबा 0.1000 हैक्टयर, खसरा नम्बर 311 रकबा 1.4500 हैक्टयर, खसरा नम्बर 312 रकबा 0.0500 हैक्टयर, खसरा नम्बर 313 रकबा 2.1000 हैक्टयर कुल खसरा नम्बर 19 कुल रकबा 25.9100 हैक्टयर वाके ग्राम किशनपुरा तहसील फतेहपुर के मौके तथा राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति मूलवाद के निस्तारण तक बनाये रखे है।

पत्रावली बाद तामील तकमील नम्बर से कम की [illegible] निर्णीत में गणना की जाकर मूलवाद मि0नं0 69/2018 के साथ संलग्न रहे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.02.13 17:03:46 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनॉक 20/01/2025 को खुले न्यायालय में [illegible]या गया ।

(दमयन्ती कंवर)
उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर (राज.)